भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1895

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

मणिपुर में फर्जी मुठभेड़

1895. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने गत 20 वर्षों में मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ों के 1528 मामलों में जांच के आदेश का निर्णय लेते हुए, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को लगाने के साठ वर्षों के पश्चात् भी अनिश्चित समय के लिए जारी रखने पर सवाल किया है;

(ख) क्या भूतपूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े की अध्यक्षता वाले एक न्यायलय अधिदेशित आयोग ने छह मामलों, जिनमें सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर 7 लोग मारे गए थे, की आकस्मिक जांच की थी और उन्हें नकली पाया है; और

(ग) क्या शीर्ष न्यायालय ने चार हितार्थियों यथा- मणिपुर की सिविल सोसाइटी, विद्रोहियों, मणिपुर राज्य तथा भारत सरकार से स्थायी और शांतिपूर्ण हल के लिए कार्य करने को कहा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग): जी, हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 129 में दिनांक 08.07.2016 को पारित अपने फैसले के माध्यम से नागा लोगों के मानवाधिकार आंदोलन में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम की संवैधानिकता को कायम रखने सहित शीर्षस्थ न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किए गए मत को दोहराते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की कि मणिपुर राज्य वर्ष 1958 से विद्रोह की समस्या एवं आंतरिक अशांति का सामना कर रहा है और मणिपुर में मणिपुर पुलिस अथवा सशस्त्र बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के परिणामस्वरुप होने वाली किसी व्यक्ति की

मौत के आरोप की पूर्णरुपेण जांच की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी नोट किया कि जस्टिस एन. संतोष हेगड़े की अध्यक्षता वाले तीन-सदस्यीय आयोग द्वारा जांच किए गए मुठभेड़ के सभी छह मामले वास्तिवक नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की कि सभी पक्षों द्वारा इस विचार करते हुए ज्वलंत समस्या का स्थायी एवं शांतिपूर्ण हल तलाशने के लिए चारों हितधारकों – मणिपुर स्थित सिविल सोसायटी, विद्रोहियों, मणिपुर राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा समन्वित एवं गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए।